



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271107
CG-DL-E-21032026-271107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 66]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

मामला संख्या: -एडी(ओआई)-08/2026

एसईटीयू मामला आईडी सं.-एडी/ओआई/009/2026

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "किसी भी सांद्रता में मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट्स (एमसीएफ)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

- फा.सं. 6/08/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स पौशक लिमिटेड, मैसर्स सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड और यूपीएल लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण.(जिसे यहां आगे 'संबद्ध' देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट्स" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के

संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात से वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "किसी भी सांद्रता में मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट्स (एमसीएफ)" है।
4. एमसीएफ एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह एक तीखी गंध के साथ एक रंगहीन, वाष्पशील तरल है। मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का व्यापक रूप से कार्बनिक रासायनिक मध्यवर्ती में एक मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया जाता है और व्यापक रूप से इसका उपयोग फार्मास्युटिकल और कृषि रसायन उद्योगों में पाया जाता है। यह क्लोरोफॉर्मेट्स के वर्ग से संबंधित है और इसमें एक एस्टर और एक क्लोरो कार्यात्मक समूह दोनों शामिल हैं, जो इसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है। अपने संक्षारक और विषाक्त प्रकृति के कारण, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो साँस लेने, अंतर्ग्रहण और त्वचा संपर्क के माध्यम से जोखिम पैदा करता है।

माप की इकाई

5. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (केजी) है।

प्रशुल्क वर्गीकरण

6. आवेदकों ने सूचित किया है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है। वर्तमान में यह उत्पाद विशेष रूप से उप-शीर्ष 2915 12 90 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अन्तर्गत विभिन्न प्रशुल्क शीर्षों के तहत आयात किया जाता है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को कोड 2915 13 00, 2915 90 99 और 2933 39 90 के तहत भी आयात किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
7. आवेदकों ने अपने आवेदन-पत्र में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदकों ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यात की गई वस्तु में कोई अधिक अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदकों द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

10. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच (जिसे आगे "पीओआई" कहा गया है) के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में माना है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

11. यह आवेदन-पत्र मैसर्स पौशक लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड और सुपरफार्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध नहीं हैं। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वे एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं और उनका भारत में संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन में 100% हिस्सा है।
12. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि यूपीएल लिमिटेड ने दहेज संयंत्र में जून 2024 में पीयूसी का उत्पादन शुरू किया और जून 2024 से नवंबर 2024 तक यूपीएल ने उक्त माल का उत्पादन किया। दिसंबर 2024 से आगे, यूपीएल लिमिटेड द्वारा सुपरफार्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड को विशेष रसायन व्यवसाय के हस्तांतरण के बाद, सुपरफार्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पीयूसी का उत्पादन किया गया। क्षति अवधि एवं पीओआई के दौरान पौशक लिमिटेड ने पीयूसी का उत्पादन किया।
13. आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**क) चीन के लिए सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-1 के नियम-7 के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) का हवाला दिया है और उल्लेख किया है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के संदर्भ में संबद्ध सामानों के उत्पादन वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
15. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत की सूचना के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। अतः, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत् समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया गया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से इस पर विचार किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, सार-संभाल प्रभार, बंदरगाह खर्च, डीलर कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति के साक्ष्य और कारणात्मक संबंध

18. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। क्षति की अवधि के दौरान संबंधित देश से संबंधित आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का साक्ष्य है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
19. उपर्युक्त से, प्राधिकारी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए, नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए

तथाकथित पाटन और विद्यमान क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तथा घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और उस क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर संतुष्ट होने पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ब. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए आवश्यक है कि वे स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकृत करें। सभी हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तदनुसूची मामला आईडी एडी/ओआई/009/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी संगत सूचना दायर कर सकें। यह सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित किए गए अनुसार स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
26. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी – एडी/ओआई/009/2006 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर अपलोड की जानी चाहिए।
28. प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी

नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
30. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 28 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते हैं, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
32. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।
34. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।
35. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
40. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
- ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।
- ढ. असहयोग**
42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

Case No. AD(OI) - 08/2026

SETU Case ID No. - AD/OI/009/2026

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Methyl Chloroformates (MCF) in any concentration” originating in or exported from China PR.

- F. No. 6/08/2026 -DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), M/s. Paushak Limited, M/s Superform Chemistries Limited and UPL Limited (hereinafter also referred to as the “applicants”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Methyl Chloroformate” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”)
 - The applicants have alleged that dumped imports of the subject goods from the subject country are causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.
- A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**
- The product under consideration in the present application is “Methyl Chloroformate (MCF) in any concentration.”

4. MCF is an organic chemical compound. It is a colourless, volatile liquid with a pungent odour. Methyl Chloroformate is widely used as an intermediate in organic chemical intermediates and widely finds its usage in the pharmaceutical and agrochemical industries. It belongs to the class of chloroformates and contains both an ester and a chloro functional group, making it highly reactive. Due to its corrosive and toxic nature, methyl chloroformate is classified as hazardous, posing risks through inhalation, ingestion, and skin contact.

Unit of measurement

5. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tons (MT) or Kilogram (Kg).

Tariff classification

6. The applicants have informed that the product under consideration (PUC) does not have a dedicated HS code. The product is presently imported under various tariff headings under Chapter 29 of the Customs Tariff Act specially under the sub-headings 2915 12 90. The applicants have also alleged that the product under consideration is also imported under the code 2915 13 00, 2915 90 99 and 2933 39 90. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
7. The applicants have not proposed any product control numbers (PCN) methodology in its application. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicants have stated that there are no significant differences in the article produced by the applicants and exported from the subject country. The article produced by the applicants and that imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicants have been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

9. The subject country in the present investigation is **China PR.**

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

10. The Authority has considered the period from **1st October 2024 to 30th September 2025** (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI"). The injury investigation period shall cover the period 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. The application has been filed by M/s. Paushak Limited, UPL Limited and Superform Chemistries Limited. The applicants have submitted that they have not imported the subject goods from the subject county and is not related to producers and exporters from the subject country. The applicants have submitted that they are the only domestic producer and accounts for 100% of the total production of the subject goods in India.
12. The applicants have submitted that UPL Limited commenced the production of PUC in the month of June 2024 at Dahej Plant and from June 2024 to November 2024, UPL produced the subject goods. December 2024 onwards PUC was produced by Superform Chemistries Limited pursuant to its transfer of speciality chemicals business by UPL Limited to Superform Chemistries Limited. Paushak Limited produced the PUC throughout the injury period and POI.
13. The applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the ADD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a) Normal Value for China

14. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the Rules. The applicants have cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of

the Rules. The applicants have claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

15. The applicants have submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicants could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy in a third country. Therefore, the normal value has been constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

b) Export Price

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, marine insurance, handling charges, port expenses, dealers commission and bank charges.

c) Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

18. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased during the injury period. There is evidence of price suppression and price depression due to imports. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.
19. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID – AD/OI/009/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in the subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding SETU Case ID – AD/OI/ 009/2026.
28. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 28 above of this Initiation Notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that

such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

41. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority